RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
मार्च
24
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

ग्लेशियर / Glacier

संदर्भ:

अंतरिक्ष से ली गई **उपग्रह छवियों** में तीन दशकों के अंतराल में **आइसलैंड के ओकजोकुल (Okjökull) ग्लेशियर** के लुप्त होने को दर्शाया गया है। यह **2014 में मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण "मृत" घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर** था।

ग्लेशियर के बारे में:

ग्लेशियर क्या हैं?

ग्लेशियर बर्फ और हिम का विशाल, स्थायी संग्रह होता है, जो अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे-धीरे जमीन पर बहता है।

- आमतौर पर, ग्लेशियर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक तापमान जमाव बिंदु (Freezing Point) के करीब होता है और सर्दियों में हिमपात की मात्रा अधिक होती है।

ग्लेशियर का महत्व:

1. **जल भंडार:** ग्लेशियर पृथ्वी के ताजे पानी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा संग्रहित करते हैं, जो इन्हें सबसे बड़े ताजे पानी के भंडार बनाता है।
2. **खाद्य प्रणाली:** ग्लेशियर कृषि क्षेत्रों के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत होते हैं, और ग्लेशियर से उत्पन्न नदियाँ भूमि को उपजाऊ बनाती हैं।
3. **जैव विविधता:** ग्लेशियर के पिघलने से पोषक तत्व झीलों, नदियों और महासागरों में पहुँचते हैं, जिससे फाइटोप्लांकटन (Phytoplankton) की वृद्धि होती है, जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार है।

जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने का प्रभाव:

1. **जल चक्र में व्यवधान:** ताजे पानी, पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि के लिए खतरा।
2. **प्राकृतिक आपदाएँ:** ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods) और हिमस्खलन (Avalanches) का खतरा बढ़ना।
3. **समुद्र स्तर में वृद्धि (Sea Level Rise):** तटीय कटाव, आवास की हानि और जैव विविधता का नुकसान।
4. **जलवायु प्रतिक्रिया चक्र (Climate Feedback Loop):** पृथ्वी की परावर्तकता में कमी आना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की गति तेज होती है।

दुनिया के लुप्त होते ग्लेशियर:

निम्नलिखित ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं:

- **अमेरिका (USA):** एंडरसन ग्लेशियर (Anderson Glacier), क्लार्क ग्लेशियर (Clark Glacier), ग्लिसन ग्लेशियर (Glisan Glacier)
- **न्यूज़ीलैंड (New Zealand):** बाउमैन ग्लेशियर
- **इटली (Italy):** काल्डेरोन ग्लेशियर
- **अर्जेंटीना (Argentina):** मार्शल सुर ग्लेशियर
- **वेनेज़ुएला (Venezuela):** पिको हंबोल्ट ग्लेशियर
- **स्विट्ज़रलैंड (Switzerland):** पिज़ोल ग्लेशियर
- **फ्रांस (France):** सारेन ग्लेशियर
- **जर्मनी (Germany):** श्नीफर्नर ग्लेशियर

ग्लेशियरों की सुरक्षा के लिए पहल:

वैश्विक स्तर:

- 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करना (Designation of 2025 as the International Year of Glaciers' Preservation) - संयुक्त राष्ट्र द्वारा।
- यूनेस्को अंतर सरकारी हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम

भारत (India):

- हिमालयी क्रायोस्फीयर पर नेटवर्क कार्यक्रम
- क्रायोस्फीयर और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र
- HIMANSH अनुसंधान केंद्र

अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण / Sub-categorisation of SCs

संदर्भ:

आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने **अनुसूचित जातियों (SCs) के उप-वर्गीकरण** पर **एक-सदस्यीय आयोग की सिफारिशों** को मंजूरी दी, जिससे लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई में उप-वर्गीकरण:

उप-वर्गीकरण का मतलब है, अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) जैसी बड़ी श्रेणियों के भीतर छोटे-छोटे उप-समूह बनाना, ताकि असमानताओं को दूर किया जा सके और लाभ और अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

उप-वर्गीकरण का उद्देश्य:

- **श्रेणी के भीतर असमानताओं को दूर करना:** इसका मुख्य उद्देश्य इन बड़ी श्रेणियों के भीतर मौजूद असमानताओं को खत्म करना है।
- **समान वितरण सुनिश्चित करना:** यह सुनिश्चित करना कि सकारात्मक कार्रवाई के लाभ सबसे अधिक वंचित उप-समूहों तक पहुंचें।

संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले:

1. **1975 (पंजाब सरकार का नोटिफिकेशन):** पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के आरक्षण में सबसे पिछड़े समुदायों, बाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों, को प्राथमिकता देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया।
2. **2004 (E.V. Chinnaiah मामला):**
   - सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में इसी तरह के कानून को रद्द कर दिया।
   - अदालत ने माना कि अनुच्छेद 341/342 के तहत राष्ट्रपति की सूची में शामिल होने के बाद अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) एकल और अविभाज्य वर्ग बन जाते हैं।
   - राज्यों को SC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण या कोटा बनाने की अनुमति नहीं थी।
3. **2020 (पुनर्विचार की आवश्यकता):**
   - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2004 के E.V. Chinnaiah के फैसले की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए।
   - अदालत ने स्वीकार किया कि अनुसूचित जाति की सूची में भी असमानताएं मौजूद हैं।
   - Jarnail Singh बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) के फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित जातियों (SCs) पर भी अब 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत लागू होता है।
4. **2024 (उप-वर्गीकरण की अनुमति):**
   - सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) में उप-वर्गीकरण की अनुमति दी, ताकि सकारात्मक कार्रवाई का लाभ समान रूप से वितरित किया जा सके।
   - इसके लिए सख्त दिशानिर्देश निर्धारित किए गए।
   - अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 341 केवल राष्ट्रपति के अधिकार को सीमित करता है कि वे SC समूहों को सूची में जोड़ या हटाने का कार्य करें, लेकिन यह उप-वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता।

उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क

- **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का समाधान:** राज्यों का तर्क है कि कुछ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के समूह आरक्षण के बावजूद भी कम प्रतिनिधित्व पाते हैं।
- **SC/ST समूहों में असमानता:** सभी SC/ST समान रूप से पिछड़े नहीं होते; कुछ समूह अधिक गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं।
- **वास्तविक समानता की प्राप्ति:** संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, आंतरिक असमानताओं को दूर करने के लिए उप-वर्गीकरण करना वास्तविक समानता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।
- **जाति जनगणना की आवश्यकता:** उप-वर्गीकरण लागू करने से जाति जनगणना करने की आवश्यकता को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे आरक्षण वितरण में असमानताओं का सही आकलन और समाधान किया जा सके।

उप-वर्गीकरण के विरोध में तर्क:

- **राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग का खतरा:** आलोचकों का कहना है कि उप-वर्गीकरण का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे आरक्षण के मूल उद्देश्य को क्षति पहुंच सकती है।
- **संवैधानिक उल्लंघन:** यह तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रपति की SC सूची में बदलाव करना, जो केवल संसद का अधिकार है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय / Fast Track Special Courts

संदर्भ:

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना का **मार्च 2026 तक विस्तार** किया गया है, ताकि **बलात्कार और POCSO अधिनियम, 2012 के तहत मामलों** में त्वरित और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) क्या हैं?

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) भारत में विशेष रूप से स्थापित किए गए न्यायालय हैं, जिनका उद्देश्य बलात्कार और बाल यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों का निपटारा तेजी से करना और समयबद्ध न्याय प्रदान करना है।

स्थापना:

- 2019 में न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया।
- योजना के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच फंडिंग साझा की जाती है।
  - अधिकांश राज्यों/विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 (केंद्र:राज्य)।
  - उत्तरपूर्वी और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10।

उद्देश्य:

इस योजना के तहत कुल 790 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) स्थापित किए जाने हैं, जिनमें विशेष POCSO (e-POCSO) कोर्ट्स भी शामिल हैं। प्रत्येक FTSC से अपेक्षा की जाती है कि वह हर तिमाही में 41-42 मामलों का निपटारा करे और प्रतिवर्ष कम से कम 165 मामलों का निपटारा करके न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करे और मामलों की पेंडेंसी को कम करे।

FTSCs की आवश्यकता:

- **मामलों का बढ़ता बोझ:** भारत की अदालतें बलात्कार और POCSO मामलों के बढ़ते बोझ का सामना कर रही हैं। यह आंकड़ा 2020 में 2,81,049 मामलों से बढ़कर 2022 के अंत तक 4,17,673 हो गया।
- **समय पर न्याय:** POCSO अधिनियम, 2012 के अनुसार, विशेष अदालतों को अपराध की जानकारी लेने के एक वर्ष के भीतर मामलों का निपटारा करना आवश्यक है।
- **अपराध रोकने का माध्यम:** सख्त सजा अपराधों को रोकने में सहायक होती है, लेकिन इसका प्रभाव तभी होता है जब पीड़ितों को समय पर न्याय और त्वरित सुनवाई मिले।

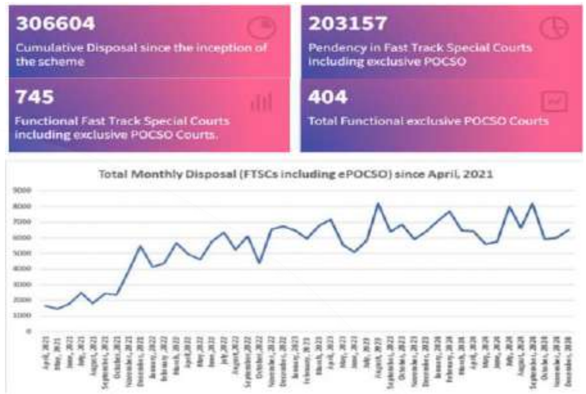

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) की चुनौतियां

- **मामलों की लंबित संख्या:** भारी केस लोड से देरी; महाराष्ट्र-पंजाब में निपटान तेज, जबकि पश्चिम बंगाल में सबसे कम।
- **निर्भया फंड का कम उपयोग:** ₹1,700 करोड़ अब भी अप्रयुक्त, जिससे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े सुधार प्रभावित।
- **संख्या की कमी:** 1,023 स्वीकृत अदालतों में से केवल 747 सक्रिय; न्याय तेजी के लिए 1,000 FTSCs की जरूरत।
- **विशेष सुविधाओं का अभाव:** पीड़ितों के लिए अनुकूल **गवाह केंद्र, महिला लोक अभियोजक** और **काउंसलरों** की कमी।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) की प्रमुख सिफारिशें

योजना की निरंतरता: IIPA ने बलात्कार और POCSO मामलों के त्वरित निपटारे के लिए इस योजना को जारी रखने की सिफारिश की।

तेजी से ट्रायल सुनिश्चित करना:

- POCSO मामलों में अनुभवी **विशेष न्यायाधीशों** की नियुक्ति।
- न्यायाधीशों और लोक अभियोजकों के लिए **संवेदनशीलता प्रशिक्षण**।
- **महिला लोक अभियोजकों** की नियुक्ति।

न्यायालयों का आधुनिकीकरण:

- **ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, एलसीडी प्रोजेक्टर** जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग।
- **ई-फाइलिंग और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन** को बढ़ावा देना।

फॉरेंसिक जांच में सुधार: अधिक **फॉरेंसिक लैब** स्थापित करना और प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या बढ़ाना।

आदतन अपराधी कानून / Habitual Offender Laws

संदर्भ:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **आदतन अपराधियों (Habitual Offenders)** के वर्गीकरण से जुड़े कानूनों पर चिंता व्यक्त की है। मार्च 2025 तक, **14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में ये वर्गीकरण लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस वर्गीकरण को **संवैधानिक रूप से संदिग्ध** माना था, विशेष रूप से **अस्वीकृत जनजातियों (Denotified Tribes)** पर इसके प्रभाव को लेकर।

भारत में आदतन अपराधी कानून (Habitual Offender Laws):

- **परिभाषा:** ऐसे कानून जो राज्य प्राधिकरणों को बार-बार कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की निगरानी करने की अनुमति देते हैं।
- **उद्देश्य:** मूल रूप से बार-बार अपराध करने वालों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन्हें विशेष रूप से विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT, NT, SNT) के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान 'अपराधी जनजातियाँ' के रूप में लेबल किया गया था।

आदतन अपराधी कानूनों का विकास:

1. **औपनिवेशिक युग की नीतियाँ (Colonial Era Policies):** ब्रिटिश काल के कानूनों ने कुछ जनजातियों को जन्म से ही 'अपराधी' घोषित कर दिया था।
2. **स्वतंत्रता के बाद का विकास (Post-Independence Developments):**
   - **अपराधी जनजाति अधिनियम का निरसन (1952):** कई राज्यों द्वारा इसे आदतन अपराधी अधिनियम (Habitual Offenders Acts) से बदल दिया गया।
   - **राज्य कानून (1950-1970 के दशक):**
     - मद्रास आदतन अपराधी अधिनियम, 1948।
     - राजस्थान आदतन अपराधी अधिनियम, 1953।
     - इसी तरह के कानून आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में भी बनाए गए।

सुप्रीम कोर्ट का रुख और सिफारिशें:

अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदतन अपराधी कानूनों के अनुप्रयोग चिंता व्यक्त की।

- अदालत ने कहा कि ये कानून अक्सर विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को निशाना बनाते हैं, जिससे अपराधीकरण का चक्र बना रहता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से ऐसे कानूनों की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया।

एनसीआरबी डेटा (2022) के अनुसार आदतन अपराधी

- भारत के 1.29 लाख दोषियों में से 1.9% को आदतन अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- दिल्ली में सबसे अधिक आदतन अपराधियों का अनुपात है (21.5%)।

विमुक्त जनजातियों पर प्रभाव:

सामाजिक प्रभाव:

- लगातार पुलिस उत्पीड़न और गलत गिरफ्तारी।
- रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं में भेदभाव।
- संपूर्ण समुदायों को "जन्मजात अपराधी" के रूप में कलंकित करना।

कानूनी और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं:

- **1998 बुढ़न साबर केस:** पुलिस हिरासत में मृत्यु से राष्ट्रव्यापी आक्रोश उत्पन्न हुआ।
- **DNT-RAG:** महाश्वेता देवी और जी.एन. देवी द्वारा विमुक्त जनजातियों के अधिकारों के लिए गठित।
- **एनएचआरसी (2000):** आदतन अपराधी कानूनों को समाप्त करने की सिफारिश की।
- **संयुक्त राष्ट्र (2007):** मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला देते हुए इन कानूनों को समाप्त करने की मांग की।

आगे का रास्ता:

1. **न्यायिक और विधायी समीक्षा:** राज्यों को आदतन अपराधी कानूनों की प्रासंगिकता का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना चाहिए।
2. **विकल्पीय अपराध-रोकथाम:** पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना।
   - रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाना।
3. **संवेदनशीलता बढ़ाना:** पुलिस बलों को विमुक्त जनजातियों के प्रति भेदभाव रोकने के लिए प्रशिक्षण देना।
   - कानून प्रवर्तन में संवेदनशीलता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना।

ग्रोक (चैटबॉट) / Grok (chatbot)

संदर्भ:

xAI द्वारा विकसित एआई चैटबॉट **Grok** अपने बिना सेंसर किए गए जवाबों के कारण **X (पूर्व में Twitter)** पर विवादों में आ गया है।

Grok विवाद:

भारतीय सरकार एलोन मस्क के प्लेटफ़ॉर्म X के साथ उसके एआई चैटबॉट Grok द्वारा उत्पन्न विवादास्पद प्रतिक्रियाओं को लेकर बातचीत कर रही है। इस चैटबॉट ने कुछ **रूढ़िवादी उपयोगकर्ताओं,** जिनमें मस्क भी शामिल हैं, **को 'भ्रामक जानकारी फैलाने वाले' कहकर अपमानजनक और पक्षपाती टिप्पणियाँ** की हैं।

Grok क्या है?

Grok एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, जिसे **xAI** कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जिसे **Elon Musk** ने स्थापित किया था। यह एक बड़े भाषा मॉडल (LLM) **Grok** पर आधारित है और इसे **2023** में लॉन्च किया गया था।

Grok की अनोखी विशेषताएँ:

1. **रियल-टाइम X डेटा तक पहुँच**: अन्य चैटबॉट्स की तुलना में, Grok सार्वजनिक पोस्ट्स को खोजकर और उपयोग करके X (पहले Twitter) से ताज़ा जानकारी प्रदान करता है।
2. **X के साथ इंटीग्रेशन:** उपयोगकर्ता अपनी पोस्ट में Grok को टैग कर सकते हैं और सीधे जवाब प्राप्त कर सकते हैं।
3. **अनहिंग्ड मोड:** यह एक प्रीमियम सुविधा है, जिसमें चैटबॉट ऐसे उत्तर उत्पन्न कर सकता है जो अनुचित या आपत्तिजनक हो सकते हैं।

जनरेटिव AI और इसके नियमन से जुड़े चिंताएँ:

1. **गलत जानकारी का प्रसार (Amplify Misinformation):**
   - यदि जनरेटिव AI सिस्टम को पक्षपातपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है या उनमें स्वाभाविक रूप से पूर्वाग्रह होता है, तो वे गलत और भ्रामक सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं।
   - चूँकि **Grok** सीधे X (पहले Twitter) पर सामग्री प्रकाशित करने की सुविधा देता है, इससे गलत जानकारी तेजी से फैल सकती है।
2. **पारदर्शिता की कमी (Lack of Transparency):**
   - AI एल्गोरिदम अक्सर ब्लैक-बॉक्स दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से डेटा के आधार पर परिणाम उत्पन्न हुए।
3. **सेंसरशिप का खतरा (Risk of Censorship):**
   - कंपनियाँ सरकारों द्वारा की जाने वाली विनियामक कार्रवाइयों के डर से आत्म-सेंसरशिप करने लगती हैं।
   - इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है
4. **AI-जनित उत्तरों की जिम्मेदारी (Accountability for AI-generated output):**
   - अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल मनुष्यों पर लागू होता है, AI सिस्टम पर नहीं।
   - AI प्रतिक्रियाएँ मशीन द्वारा उत्पन्न होती हैं और उनमें व्यक्तिगत इरादा नहीं होता।
   - इससे कानूनी जिम्मेदारी निर्धारित करना कठिन हो जाता है।
5. **AI के लिए सेफ हार्बर का विस्तार:**
   - सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को IT Act 2000 के सेक्शन 79 के तहत सुरक्षित सुरक्षा (Safe Harbour) प्राप्त होती है।
   - **Grok** एक मानव उपयोगकर्ता नहीं है, बल्कि इंटरनेट डेटा से उत्तर उत्पन्न करने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम है।
   - यह प्रश्न उठता है कि क्या AI-जनित सामग्री के लिए सेफ हार्बर सुरक्षा लागू होनी चाहिए।

प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश / Initial public offering (IPO)

संदर्भ:

दक्षिण कोरियाई उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG Electronics India जल्द ही अपना IPO लॉन्च करने की योजना बना रही है। पिछले हफ्ते, कंपनी को SEBI से सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने की मंजूरी प्राप्त हुई।

मुख्य बातें

- **IPO लॉन्चिंग**: सूत्रों के अनुसार, LG Electronics India अपना IPO अप्रैल के मध्य तक लॉन्च कर सकती है। फिलहाल कंपनी निवेशकों से मिलने के लिए रोड शो आयोजित कर रही है।
- **बड़ी पेशकश:** यह IPO 2025 का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बनने संभावना है।
- **SEBI को आवेदन:** कंपनी ने दिसंबर के पहले हफ्ते में Draft Red Herring Prospectus (DRHP) दायर किया था।

IPO का आकार और रैंकिंग

- IPO का अनुमानित आकार लगभग **15,000 करोड़** रुपये हो सकता है।
- यह **भारत का पाँचवां सबसे बड़ा IPO** बन सकता है।
- इससे पहले, **LIC, Hyundai Motor India, Paytm और Coal India** ने बड़े IPO लॉन्च किए थे।
- यह Hyundai Motor India के बाद भारत में सूचीबद्ध होने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी होगी।
- Hyundai Motor India ने **27,870 करोड़ रुपये** जुटाए थे, जो अब तक का भारत का सबसे बड़ा IPO है।

IPO का स्वरूप

- यह IPO पूरी तरह से **Offer for Sale (OFS)** के रूप में होगा।
- LG Electronics India को इससे कोई सीधा वित्तीय लाभ नहीं होगा।
- कंपनी की मूल दक्षिण कोरियाई फर्म अपनी **15% हिस्सेदारी बेचकर 10.18** करोड़ शेयर जारी करेगी।
- **लीड मैनेजर:** Morgan Stanley, JPMorgan, Axis Capital, BofA Securities और Citi इस IPO के प्रमुख प्रबंधक हैं।

LG Electronics India का भारत में सफर

- **स्थापना:** LG ने 1997 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया और मजबूत उत्पादन इकाइयाँ स्थापित कीं।
- **निर्माण इकाइयाँ:**
  - ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)
  - रंजनगांव (पुणे, महाराष्ट्र)
- **स्वदेशी उत्पादन:**
  - कंपनी भारत में बिकने वाले 97% से 98% उत्पादों का स्थानीय निर्माण करती है।
  - यह 'Make in India' पहल को दर्शाता है।
- **प्रमुख उत्पाद:** वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, LED टीवी पैनल, इन्वर्टर AC, माइक्रोवेव ओवन आदि।

IPO क्या होता है?

IPO (Initial Public Offering) वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निजी कंपनी पहली बार अपने शेयरों को सार्वजनिक रूप से बेचती है, जिससे निवेशक कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं।

IPO क्यों लाया जाता है?

- **पूँजी जुटाना:** कंपनी अपने व्यवसाय, विस्तार या रणनीतिक उद्देश्यों के लिए पूँजी जुटाने के लिए IPO लाती है।
- **लिक्विडिटी:** यह संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों को अपने शेयर बेचने का अवसर प्रदान करता है।
- **मूल्यांकन:** IPO के माध्यम से कंपनी का मूल्यांकन बढ़ सकता है और नए निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।

मुख्य शब्द और अवधारणाएँ

- **Red Herring Prospectus (RHP):** कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालन और जोखिमों की जानकारी देने वाला दस्तावेज।
- **Draft Red Herring Prospectus (DRHP):** RHP का प्रारंभिक रूप, जो IPO लॉन्च से पहले SEBI को जमा किया जाता है।
- **इन्वेस्टमेंट बैंक:** वित्तीय संस्थान जो IPO प्रक्रिया में मदद करते हैं, जैसे कि शेयरों की कीमत तय करना और निवेशकों तक पेशकश पहुँचाना।
- **SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड):** IPO प्रक्रिया की निगरानी करने वाला और पूँजी बाजार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करने वाला नियामक निकाय।

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट / World Happiness Report

संदर्भ:

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 हाल ही में प्रकाशित हुई, जिसमें भारत **को 147 देशों में 118वां स्थान** मिला है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक समर्थन, आय स्तर, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार जैसे कारकों के आधार पर देशों की रैंकिंग निर्धारित करती है।

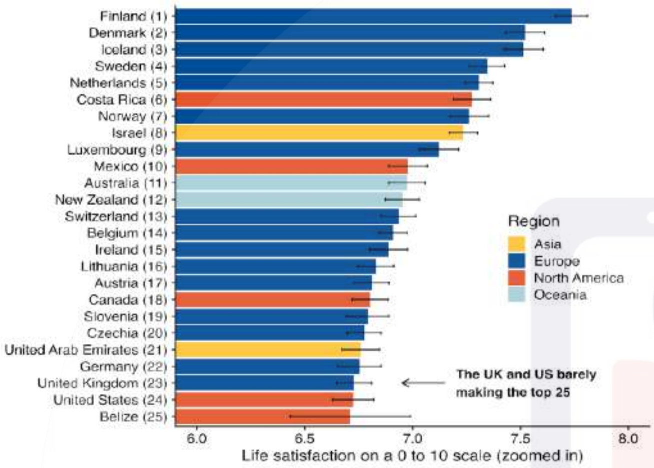

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

1. वैश्विक स्थिति:

- रिपोर्ट ने लगातार 8वें साल फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश और अफगानिस्तान को सबसे दुखी देश बताया।
- रिपोर्ट में दिखाया गया है कि सभी आयु समूहों में युवाओं का कल्याण स्तर सबसे कम है, जो चिंताजनक है।

2. भारत का प्रदर्शन:

- भारत ने 147 देशों में से 118वां स्थान प्राप्त किया, जो 2023 में 126वें स्थान से सुधार है।
- भारत का हैप्पीनेस स्कोर 4.389 है, जो 0-10 के पैमाने पर है। इसमें 0 सबसे खराब जीवन और 10 सबसे अच्छा जीवन दर्शाता है।

3. भारत की रैंकिंग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक:

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में पिछले पांच वर्षों का सबसे अच्छा स्कोर प्राप्त किया।
- **GDP प्रति व्यक्ति:** भारत की GDP प्रति व्यक्ति रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।
- **भ्रष्टाचार की धारणा:** भारत में भ्रष्टाचार की धारणा में सुधार देखा गया है।
- **चिंता का कारण:** भारत की रैंकिंग नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन और फिलिस्तीन से भी कम है, जो रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई पद्धति पर सवाल उठाता है।

अनुदान की माँगें / Demands for Grants

संदर्भ:

लोकसभा ने 2025-26 के लिए विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित किया, जिसमें **₹50 लाख करोड़** से अधिक के व्यय को मंजूरी दी गई।

Demands for Grants (अनुदान की माँगें):

अनुदान की माँगें उन व्यय अनुमानों को संदर्भित करती हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 113 के तहत लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

दायरा:

- **आवर्तक एवं पूंजीगत व्यय :**
- **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान और ऋण व अग्रिम:**
- प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपनी अनुदान की माँग प्रस्तुत करता है। बड़े मंत्रालयों की कई अनुदान माँगें हो सकती हैं।

व्यय के प्रकार:

1. **मतदान योग्य व्यय (Voted Expenditure):** लोकसभा की मंजूरी आवश्यक होती है।
2. **अभ्यस्त व्यय (Charged Expenditure):** इसमें राष्ट्रपति का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन, ऋण सेवा (Debt Servicing) शामिल हैं। इसके लिए मतदान की आवश्यकता नहीं होती।

संविधान में अनुदान की माँगों से संबंधित प्रावधान:

1. **अनुच्छेद 113:** राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना किसी अनुदान की माँग नहीं की जा सकती।
2. **अनुच्छेद 114:** भारतीय संचित कोष (Consolidated Fund of India) से धन की निकासी के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य है।
3. **अनुच्छेद 115:** यदि मूल बजट आवंटन अपर्याप्त हो, तो पूरक, अतिरिक्त, या अधिक अनुदान की अनुमति देता है।
4. **अनुच्छेद 116:** यदि बजट वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले पारित नहीं होता, तो 'वोट ऑन अकाउंट', 'वोट ऑफ क्रेडिट' और 'असाधारण अनुदान' का प्रावधान है।

अनुदान की माँगों पर मतदान:

- यह लोकसभा का विशेषाधिकार है (राज्यसभा मतदान नहीं कर सकती)।
- मतदान केवल बजट के मतदान योग्य हिस्से पर होता है।
- प्रत्येक माँग पर अलग-अलग मतदान किया जाता है और चर्चा की जाती है।

आसियान / ASEAN

संदर्भ:

नई दिल्ली में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) के आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह (EWG on CT) की 14वीं बैठक आयोजित की गई।

आसियान (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations)

परिचय: आसियान एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है।

स्थापना और मुख्यालय:

- **स्थापना:** 8 अगस्त, 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में।
- **स्थापना दस्तावेज़:** आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा)।
- **मुख्यालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया।
- **मोटो:** "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय।"

सदस्य देश (10 देश):

1. **स्थापना के सदस्य (1967):** इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड।
2. **बाद में शामिल हुए:**
   - ब्रुनेई (1984),
   - वियतनाम (1995),
   - लाओस और म्यांमार (1997),
   - कंबोडिया (1999)।

आर्थिक और जनसांख्यिकीय ताकत:

- **कुल जनसंख्या:** 662 मिलियन (2022)।
- **कुल GDP:** $3.2 ट्रिलियन (2022)।

आसियान की संस्थागत संरचना:

1. **आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit):** सालाना बैठक होती है जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा और नीति निर्धारण होता है। अध्यक्षता बारी-बारी से होती है।
2. **आसियान समन्वय परिषद:** आसियान समझौतों और निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
3. **आसियान सचिवालय (ASEAN Secretariat):** आसियान की गतिविधियों और पहलों में सहायता और समर्थन प्रदान करता है।
4. **आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN Regional Forum - ARF):**
   - राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा का मंच।
   - भारत ने 1996 में इसमें भाग लिया।
5. **निर्णय लेने की प्रक्रिया:** परामर्श और सहमति के आधार पर।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क / National Institutional Ranking Framework

संदर्भ:

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने अंतरिम रोक लगाते हुए शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) को 2025 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) जारी करने से रोका।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF):

शुरुआत: 2015 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया।

- **उद्देश्य:** भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग करना।

रैंकिंग की श्रेणियां:

- संस्थानों को पाँच श्रेणियों में रैंक किया जाता है।
- संस्थानों को NIRF पोर्टल पर डेटा अपलोड करना होता है, जैसे:
  - **छात्र और स्टाफ की संख्या, वेतन, स्नातक सूचकांक (Graduation Index), प्लेसमेंट, अनुसंधान निधि (Research Funds)**

NIRF का महत्व:

1. **सूचित निर्णय लेना:** छात्र संस्थानों की रैंकिंग के आधार पर सही विश्वविद्यालय का चयन कर सकते हैं।
2. **गुणवत्ता मूल्यांकन:** उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने का मानक प्रदान करता है।
3. **बहुआयामी मूल्यांकन:** संस्थानों के प्रदर्शन को व्यापक रूप से मापने के लिए विभिन्न मापदंडों का उपयोग करता है।
4. **प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन:** संस्थानों को अपनी शैक्षणिक और शोध मानकों में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है।
5. **नीति निर्माण में सहायता:** नीति निर्माताओं को शिक्षा क्षेत्र में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"
SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL
ANKIT AVASTHI
Video will be upload soon !
ANKIT AVASTHI

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

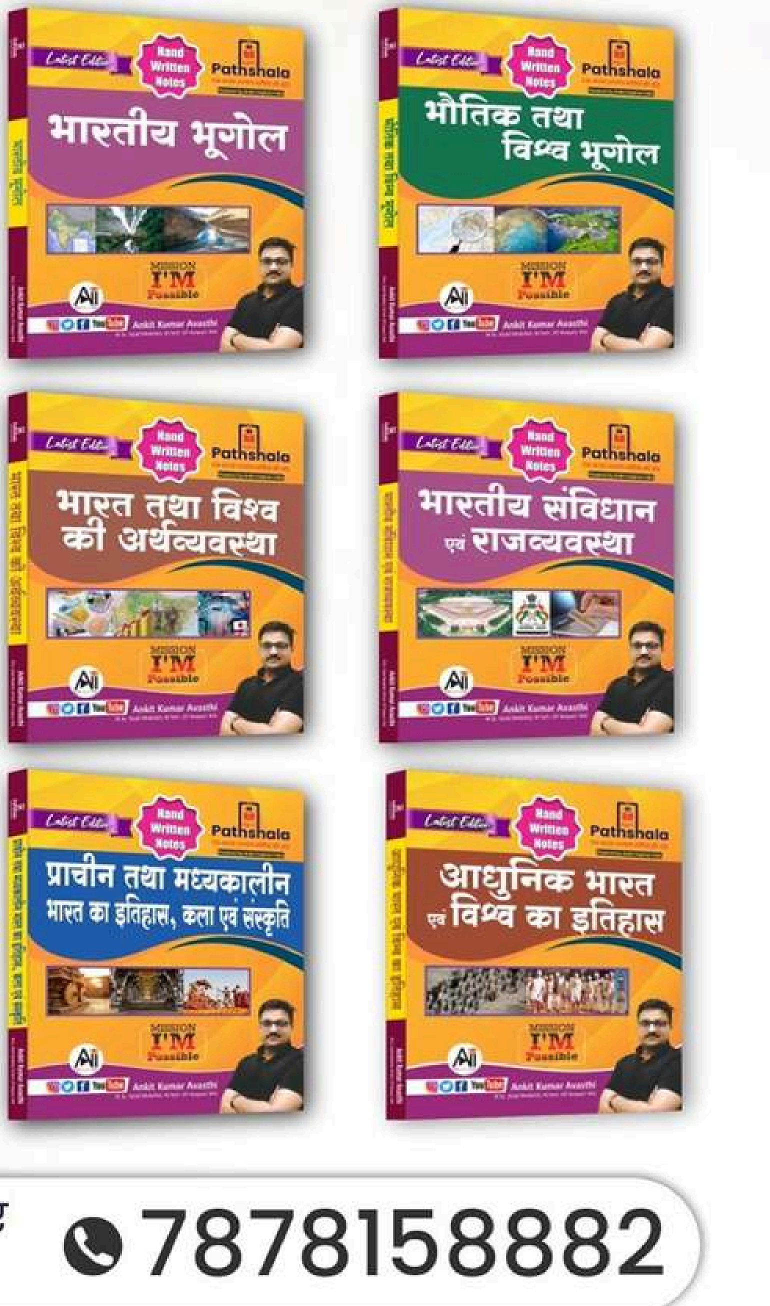

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application
Apni Pathshala
7878158882

Apni.Pathshala | Avasthiankit
AnkitAvasthiSir | kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

LIVE DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 | Apni.Pathshala | kaankit | AnkitAvasthiSir | Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

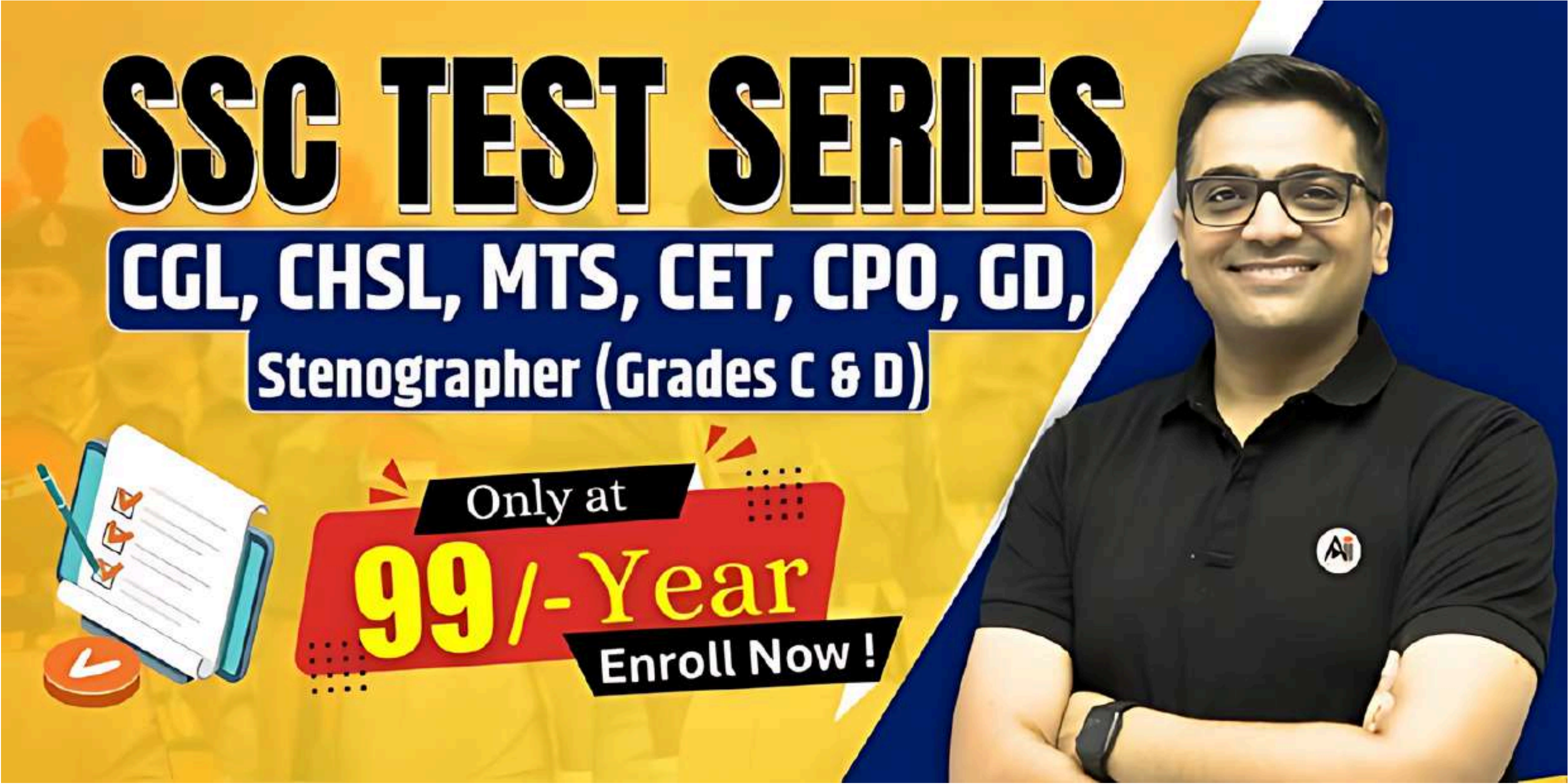
SSC TEST SERIES
CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)
Only at
99/-Year
Enroll Now !